

>

Title: Introduction of the Vexatious Litigation (Prevention) Bill, 2019.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और तत्संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

-

16.31 hrs

